


2009/00004 ✓
गलत पर्चा लगान जारी किया गया वह अवैध एव शून्य होने के आधार पर वाद स्वीकार करने योग्य है ।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है जाकर ग्राम खारा के नये राजस्व ग्राम शिमला व शिवपुरा के खेत खसरा नं . 106 रकबा 73 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 127 रकबा 34 बीघा, खसरा नं. 129 रकबा 80 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 133 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 179 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा. भूमि पर वादी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है एव स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एव प्रतिवादीगण के विरुद्ध जारी की जाती है एव स्थायी निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एव नं. 127 रकबा 34 बीघा, खसरा नं. 129 रकबा 80 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 133 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 179 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा. भूमि में वादी के 1/2 हिस्सा के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण कोई दखलंदाजी नहीं करें, न किसी अन्य से करवाये । तहसीलदार फलोदी माफिक डिक्री राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे । माफिक आदेश डिक्री पर्चा अलग से मूर्तिब हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2020 को सरे इजलास में सुनाया गया ।


यशपाल आहुजा (आर. ए. एस.)

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

डिगरी बमुकदमें इब्दाई

(अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलोदी

बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)

वादीगण

- 1 मंगलाराम पुत्र, जसवंताराम जाति विश्नोई
निवासी खारा(शिमला) तहसील फलोदी
- 2 सुरती पुत्री श्री जसवंताराम पत्नी कालूराम
जाति विश्नोई

प्रतिवादी

- 1 गोपाराम पुत्र श्री धुडाराम, जाति विश्नोई
निवासी खारा(शिमला) तहसील फलोदी
- 2 पारू पुत्री श्री धुडाराम पत्नी बागाराम बाना
जाति विश्नोई निवासी सांवरीज, तहसील
फलोदी जिला जोधपुर ।

(फौत) के कायम मुकाम

(2/1) गोपाराम

(2/2) सहीराम

(2/3) सुगनी

(2/4) रामबाबू

(2/5) अणदाराम

(2/6) पालु

3. गोमती पुत्री जसवंताराम निवासीयान् लोहावट

4. तुलछी पुत्री जसवंताराम निवासी ढढू

दावा अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 204/2009


यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे व हाजिर श्री प्रणीण मदेरणा व श्री प्रकाश विश्नोई अधिवक्ता मुदई व श्री हीराराम विश्नोई मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है जाकर ग्राम खारा के नये राजस्व ग्राम शिमला व शिवपुरा के खेत खसरा नं. 106 रकबा 73 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 127 रकबा 34 बीघा, खसरा नं. 129 रकबा 80 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 133 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 179 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा. भूमि पर वादी सं. 1 को वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है एव स्थाई निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में एव प्रतिवादीगण के विरुद्ध जारी की जाती है की खसरा नं. 106 रकबा 73 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 127 रकबा 34 बीघा, खसरा नं. 129 रकबा 80 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 133 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 179 रकबा 36 बीघा 11 बिस्वा. भूमि में वादी के 1/2 हिस्सा के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण कोई दखलंदाजी नहीं करें, न किसी अन्य से करवाये । तहसीलदार फलोदी माफिक डिक्री राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे

बाबत

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूल यावी तक


सहायक-कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)

बराका मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख २० माह ०२ सन् १९९० को जारी की गई।

दिस्तखत

सहाधीह कालयटर
खलोदी (जोधपुर)

मुहर	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	-	-	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	-	-

नोट:- इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।

